राजस्थान-सरकार राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

कमाक:प.९(८८)राज. / ग्रुप-1 / 2012

जयपुर,दिनांक : 6

- अधिसचनाः-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टौंक की तहसील देवली के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मुजरों ≠ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

			183	- v	9.				18.0	
	क्र0सं	जिला/	मूल-	ंमूल रा	जस्वं. ग्राम .की	प्रस्तावित		वेतं राजस्व	दूरी	मूल
1		तहसीलः	ः राजस्वः ः		नसंख्या /	राजस्व ग्राम	ग्राम की	जनसंख्या/	कि0मी0में	राजस्व .
	-	. +	ग्राम का	क्षेत्रफ	ल (हैक्टर में)	का नाम	8	त्रफल		_ ग्राम का
			नाम .			(हैर		क्टर में)		शेष रहा
										क्षेत्रफल
	e				N					(हैक्टर में)
-	141		1.14	ं जन	क्षेत्रफल	7.3	जन	क्षेत्रफल		
-		* 14	ev L	संख्या			संख्या		1.00	
	1	2		4	5	6	7	8	9	10
	1.	टौंक/	. रावता /	802	1555.91	रघुनाथपुरा.	492	391.17	2.5	.1236.74
		देवली	J.				- 1			v e

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, टौंक को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सुचित करने हेतू निर्देशित किया जाता है।

DD (den)

आज्ञा से,